

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

सूचना का अधिकार – 2005  
विभागीय मार्गदर्शी पुस्तिका

-विषय सूची-

अध्याय कमांक	मैनुअल कमांक	विषय	पृष्ठ कमांक
1	—	प्रस्तावना	
2	1	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	
3	2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	
4	3	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	
5	4	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण	
6	5	लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	
7	6	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	
8	7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम , पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ	
9	8	निर्णय लेने की प्रक्रिया	
10	9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	
11	10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	
12	11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	
13	12	अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	
14	13	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	
15	14	कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियम	
16	15	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाये	
17	16	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
18	17	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	

**अध्याय— 1**  
**प्रस्तावना**

## अध्याय –1

### प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उद्यानिकी विभाग में सफल क्रियान्वयन हेतु इस पुस्तिका को तैयार किया गया है, जिससे जनता के प्रति जबावदेही, उत्तरदायित्व तथा क्रियाकलाप में पारदर्शिता लायी जा सके । इसमें संदेह नहीं कि यथार्थ पालन लोकतांत्रिक शासन/प्रशासन की मूल भावना को पुष्ट करेगा तथा राज्य/राष्ट्र के नूतन विकास में अग्रसर करने में सहायक होगा ।

इस पुस्तिका से जनता को विभाग की किसी भी प्रकार की सूचना (अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के अलावा) लेने में सहायता मिलेगी । इसमें विभाग का संरचनात्मक ढांचा, विभाग के कार्य तथा दायित्व, अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रदत्त शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्य, कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख का उल्लेख, नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण, लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का वर्गीकरण, लोक सूचना अधिकारी के नाम, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्देशिका, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन आदि, योजनाओं में बजट एवं व्यय की जानकारी, कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित भावक/नियम, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें, नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण तथा अन्य जानकारियों का यथासम्भव समावेश किया गया है ।

यह पुस्तिका विभाग के लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास भी उपलब्ध रहेगी । सूचना के अधिकार,-2005 से संबंधित जानकारी विभाग के जिला कार्यालय एवं विकासखंडों से भी प्राप्त हो सकेगी । विभिन्न योजनाओं में लाभांशित हितग्राहियों की विकास खण्डवार जानकारी जिला कार्यालय में रखी जायेगी । जिसे जिले में एवं विकासखंड स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं । मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आम जनता के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत विभाग से संबंधित सभी प्रकार की सूचना (अधिनियम में विदिनिष्ट) प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी रहेगी ।


शुभकामनाओं के साथ ।

शिवपुरी  
दिनांक.....

(एम0पी0शाक्यवार)  
सहायक संचालक उद्यान  
जिला शिवपुरी,  
मध्यप्रदेश

अध्याय-2 (मैनुअल-1)  
संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

अध्याय-2 (मैनुअल-1)  
प्रशासनिक प्रतिवेदन का संरचनात्मक ढाचा



## 2.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के गठन का उद्देश्य

उद्यानिकी का गठन 12 फरवरी, 1982 को निम्न लिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है :

- उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ।
- कृषकों को उन्नत किस्मों के फल पौध, उन्नत बीज/बल्ब आदि उचित दरों पर उपलब्ध कराना ।
- उद्यानिकी फसलों के उत्पादकों को फसलोत्तर प्रबंधन की व्यवस्था करना ।
- कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना ।
- उद्यानिकी उत्पादों के बाजार व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना ।
- उद्यानिकी फसलों को प्रचार प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण ।
- वर्ष भर घर के लोगों को कार्य मिल सके ।

## 2.2 उद्यानिकी विभाग के अधीन स्वीकृत राजपत्रित/अराजपत्रित पदों की जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में (जॉब चार्ट)

### 1. सहायक संचालक उद्यान (जिला प्रमुख) :

1. जिला प्रमुख
2. विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन, मूल्यांकन ।
3. जिला पंचायतों के साथ समन्वय ।
4. जिला स्तरीय विभागीय योजनाओं को तैयार कर जिला सरकार के अनुमोदन पश्चात क्रियान्वित ।
5. विभागीय योजनाओं के तहत स्वीकृत अनुदान, जिला सरकार के अनुमोदन पश्चात आहरण वितरण ।
6. जिले के अन्तर्गत स्थापित रोपणियों/प्रक्षेत्रों का विकास, उत्पादन, वितरण
7. जिले की आवश्यकतानुसार कलमी/बीजू फलपौध उन्नत किस्म के सब्जी बीजों की व्यवस्था ।
8. स्वीकृत अमले पर प्रशासकीय नियंत्रण, आहरण संवितरण
9. कृषकों से सम्पर्क, क्षेत्र भ्रमण ।

### 2. उद्यान अधीक्षक (वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी)

1. माली द्वारा भरी जाने वाली डेली डायरी का अवलोकन प्रतिदिन कर सत्यापित करना होगा जिससे माली के नियमित कार्य का मूल्यांकन रखा जा सके ।
2. नर्सरी पर संधारित की जाने वाली सभी पंजी का नियमित अवलोकन एवं सत्यापित करना निश्चित करना होगा जिससे कोई भी पंजी अधूरी न रहे ।
3. मस्टर रोल, डेली डायरी का प्रतिदिन सत्यापन करना होगा ।



4. माली एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पूर्ण रूप से अपने ध्यान में रखना जिससे यह मालूम रहे कि, क्या-क्या कार्य कौन-कौन एवं कितना-कितना कर रहा है इसकी पंजी भी अलग से संधारित करना ।
5. नर्सरी पर बडिंग, ग्राफिटिंग, लेयरिंग, कटिंग आदि कार्यों का 5 प्रतिशत कार्य उद्यान अधीक्षक द्वारा करना ।
6. क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत/कृषि स्थाई समिति से अनुमोदित कराकर सहायक संचालक उद्यान कार्यालय में जमा करेगा ।
7. ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/माली श्रमिक अमले को कार्यों का विभाजन उद्यान अधीक्षक करेगा एवं दिये जाने वाले निर्देशों का पालन ग्रा.उ.वि.अधि/माली/श्रमिक को करना ।
8. योजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों के यहां किये गये उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन शतप्रतिशत करना एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना ।
9. नर्सरी पर किये जाने वाले कार्यों/पौध उत्पादन एवं अन्य कार्यों के लिये आवश्यक प्लान तैयार करना एवं उसमें लगने वाली सामग्री की मांग समय पर प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित करना ।
10. प्रत्येक अगले वर्ष का कार्य प्लान तैयार कर प्रस्तुत करना होगा । नर्सरी को प्रतिदिन का कार्य संपादित कराने के लिये शाम को ही अगले दिन का कार्य कराना सुनिश्चित करना ।
11. नर्सरी के आय-व्यय, पौध उत्पादन की तकनीकी दृष्टि से गुणवत्ता सुधार करना संपूर्ण उत्तरदायित्व ।

### **3. ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी**

1. ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को तकनीकी बारीकी का ज्ञान होना आवश्यक है ।
2. माली द्वारा किये जाने वाला समस्त कार्य ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की देखरेख एवं मार्गदर्शन से कराया जाना ।

- 3 नमूने के तौर पर बडिंग/ग्राफिटिंग/लेयरिंग/कटिंग आदि का कार्य 10 प्रतिशत ग्रा.उ.वि.अधि. द्वारा किया जावेगा । यह कार्य निरीक्षण के दौरान प्रदर्शन के रूप में अलग से दिखाना ।
- 4 नर्सरी पर संधारित की जाने वाली सभी पंजी का नियमित करना ।
- 5 माली द्वारा संधारित की जाने वाली सभी पंजी का नियमित करना ।
- 6 प्रतिदिन श्रमिक एवं माली का कार्य सुनिश्चित करना ।
- 7 मस्टर रोल एवं डेली डायरी ग्रा.उ.वि.अधि. द्वारा भरी जावेगी एवं सत्यापन प्रतिदिन उद्यान अधीक्षक से कराना ।
- 8 प्रचार एवं प्रसार कार्य में लगे ग्रा.उ.वि.अधि. उद्यानिकी विकास योजनाओं के तहत हितग्राहियों का चयन करके ग्राम पंचायत से अनुमोदित कर उद्यान अधीक्षक को प्रस्तुत करना ।
- 9 उद्यान अधीक्षक द्वारा दिये जाने वाले कार्यों का संपादन करना ।
- 10 ग्रा.उ.वि.अधि. अपने समस्त बीज की बोनी करायेंगे एवं प्रथम सिंचाई के समय भी उपस्थित रहेंगे ।
- 11 बडिंग/ग्राफिटिंग आदि तकनीकी कार्यों का मूल्यांकन करने की जबावदारी ग्रा.उ.वि.अधि. की होगी । जैसे : ग्राफिटिंग/बडिंग की सफलता आदि ।
- 12 नर्सरी पर किये जा रहे कार्य तकनीकी गुणवत्ता के अनुसार संधारण किये जा रहे हैं, तकनीकी गुणवत्ता की सम्पूर्ण जबावदारी ग्रा.उ.वि.अधि. की होगी ।
- 13 कार्य के अंत में शाम को दिन भर किये गये कार्यों का मूल्यांकन एवं अगले दिन का कार्य निर्धारण भी सुनिश्चित करना ।
- 14 नर्सरी पर आय-व्यय एवं समय पर कार्य समापन की जबावदारी

#### 4. लेखापाल

- 1 लेखाओं का संधारण
- 2 आहरण-संवितरण
- 3 अंकेक्षण, निरीक्षण, कंडिकाओं का निराकरण
- 4 विभागीय योजनाओं से संबंधित प्राप्त वित्तीय मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों का संकलन/ प्रस्तुतीकरण

#### 5. सहायक ग्रेड-2

- 1 शाखा प्रभारी के रूप में नस्तियों का प्रस्तुतीकरण माध्यम
- 2 शाखा की जानकारी हेतु उत्तरदायित्व
- 3 शाखा संबंधित जानकारियों का संकलन/ प्रस्तुतीकरण

#### **6. सहायक ग्रेड-3**

- 1 सहायक के रूप में नस्तियों का प्रस्तुतीकरण
- 2 शाखा की जानकारी हेतु उत्तरदायित्व
- 3 शाखा संबंधित जानकारियों का संकलन/प्रस्तुतीकरण
- 4 मुद्रलेखन
- 5 आवक/जावक
- 6 अन्य सौंपे गये कार्यों का निर्वहन
- 7 कम्प्यूटर कार्य

#### **7. भृत्य/चौकीदार**

- 1 डाक वितरण
- 2 नस्तियों को लाना, ले जाना
- 3 चौकीदारी

#### **8. माली**

- 1 सीडबैंड तैयार करना एवं क्यारियां प्रतिरोपण हेतु तैयार करना
- 2 बीज बोना, मल्लिचंग, सिंचाई, निंदाई, गुडाई एवं पौध-संरक्षण दवाई का छिडकाव करना ।
- 3 थैली भरना, जमाना
- 4 सीडलिंग थैली में बैडो में एवं क्यारियों में लगाना एवं सिंचाई करना
- 5 रूट स्टॉक एवं बडस्टिक तैयार करना
- 6 बडिंग/ग्राफिटिंग/लेयरिंग/कटिंग पौध उत्पादन कार्य करना
- 7 ट्रेनिंग एवं प्रूनिंग कार्य
- 8 बोर्डोपेस्ट/बोडो मिश्रण तैयार कर उपयोग करना
- 9 मातृवृक्षों के थाले बनाना, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पौध संरक्षण दवा का स्प्रे एवं अन्य देख रेख कार्य ।
- 10 नर्सरी के मातृवृक्षों की देखरेख एवं पौध उत्पादन से संबंधित समस्त कार्य

- 11 प्रतिदिन के कार्य की एक डेली डायरी अपने पास रखेगा जिसे प्रतिदिन शाम को भर कर ग्रा.उ.वि.अधि. से सत्यापित करायेगा । इसके लिये डेली डायरी में अलग से ग्रा.उ.वि.अधि. अन्य उद्यान अधीक्षक द्वारा सत्यापन के लिये कालम रहेगा ।

### 2.3 कार्यालय सहायक संचालक उद्यान में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं उनका कार्य दायित्व

क्र	नाम अधिकारी एवं पद	दायित्व
-		
1.	श्री एम0पी0षाक्यवार, सहायक संचालक उद्यान	जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण, आहरण संवितरण का कार्य
2.	श्री एस.के0जैन, बरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	फल पौध उत्पादन, वितरण, बीजोत्पादन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन, गोकुल ग्राम, उद्यानिकी ग्राम, आदिवासी परियोजना
3.	श्री आर0पी0कौषल,सहायक ग्रेड-3	समस्त स्थापना में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का संघारित करना एवं अवकास स्वीकृति तथा अन्य कार्यालयीन कार्य ।
4	श्री एम0एन0पाण्डे, सहायक ग्रेड-3	लेखा शाखा के समस्त कार्य ।
5	श्रीमती प्रभा गुप्ता, सहायक ग्रेड-3	आवक जावक एवं जी0पी0एफ0,डी0पी0एफ0 एवं अन्य स्वीकृतियां संघारित करना ।
6	श्री रामचरण बैरागी ,भृत्य	डाक वितरण करना ।

## 2.4 कार्यालय सहायक संचालक उद्यान में शाखा प्रभारियों के कर्तव्य एवं दायित्व :-

1. शासन के सम्बन्धित विभागों से समन्वय बनाये रखना ।
2. योजनाओं को शासन की नीति के अनुसार क्रियान्वित करना ।
3. शासन के विभिन्न नियमों का पालन करते हुए सौपी गई गतिविधियों का सुचारूप रूप से क्रियान्वयन करना ।
4. शासन की नीति/शासकीय नियमों का ज्ञान होना तथा नियमों के अनुरूप प्रस्तावों को प्रस्तुत करना ।
5. कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजों/प्रपत्रों/नियमों नस्तियों इत्यादि को सुरक्षित /व्यवस्थित करना
6. अधिकारी की अनुपस्थिति में लिंक अफसर द्वारा दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करना ।
7. रोस्टर के अनुसार विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण, अकेक्षण, विधान सभा एवं शासन द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी को समय पर शासन को प्रस्तुत करना ।
8. अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को सतत मार्गदर्शन प्रदान कर शाखा के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना ।
9. अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के मानसिक विकास हेतु उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।
10. अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना एवं निरीक्षण टीप के अनुसार प्रबन्धन को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव देना ।

11. संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का पालन करना ।

## 2.5 कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला-शिवपुरी

क./स्था./2005-06/

शिवपुरी, दिनांक

### ::कार्य आबंटन आदेश::

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को पूर्व में किये गये कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुये समस्त कर्मचारियों को उनके नाम के समुख अंकित शासकीय कार्य आबंटित किया जाता है।

क्र	नाम कर्मचारी व पदनाम	आबंटित शासकीय कार्य	शाखा
1.	श्री एस.के.जैन, बरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	समस्त उद्यानिकी योजनाओं से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन उद्यान अधीक्षकों से प्राप्त कर बरिष्ठ को भेजना	तकनीकी-1
2	श्री आर.पी.कौषल, सहायक ग्रेड-3	स्थापना शाखा एवं कोर्ट केस तथा कम्प्यूटर कार्य	स्थापना-1
3	श्री एम.एन.पाण्डे, सहायक ग्रेड-3	लेखा शाखा एवं भण्डार शाखा संधारित करना	लेखा शाखा तकनीकी-2
4	श्रीमती प्रभा गुप्ता, सहायक ग्रेड-3	आवक जावक एवं जी.पी.एफ., डी.पी.एफ. एवं अन्य स्वीकृतियां संधारित करना तथा मेडीकल व टी.ए.बिल ।	स्थापना-2
5	श्री रामचरण बैरागी, भृत्य	डाक वितरण करना ।	-

सहायक संचालक उद्यान द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त कार्य ।

सहायक संचालक उद्यान

जिला शिवपुरी

पृ. क./स्था./2005-06/

शिवपुरी, दिनांक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

- 1 श्री ----- कार्यालयीन-----  
षाखा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 सूचना पटल ।

सहायक संचालक उद्यान  
जिला शिवपुरी

### **अध्याय – 3 (मैनुअल – 2 )**

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य,

## अध्याय-3 (मैनुअल-2)

### 3.1 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	सहायक संचालक उद्यानिकी (जिला स्तर)	
शक्तियाँ	प्रशासनिक	1. शासन द्वारा प्रदत्त समस्त प्रशासकीय कार्य
	वित्तीय	1. शासन द्वारा प्रदत्त समस्त वित्तीय अधिकार का उपयोग
	अन्य	विभागीय योजनाओं का क्रियावयन, मूल्यांकन
कर्तव्य	जिले में उद्यानिकी का समग्र विकास	

### 3.2 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी (विकासखंड स्तर)	
शक्तियाँ	प्रशासनिक	1. रोपणी स्तर पर पदस्थ अधिकारी को कोई प्रशासकीय अधिकार प्रदत्त नहीं है।
	वित्तीय	1. कोई वित्तीय अधिकार प्रदत्त नहीं है।
	अन्य	



कर्तव्य	1. विभागीय रोपणी, विभागीय योजनाओं का क्रियांवयन करना व कराना।
---------	---

### 3.2 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	उद्यान विकास अधिकारी (विकासखंड स्तर)	
शक्तियाँ	प्रशासनिक	1. रोपणी स्तर पर पदस्थ अधिकारी को कोई प्रशासकीय अधिकार प्रदत्त नहीं है।
	वित्तीय	1. कोई वित्तीय अधिकार प्रदत्त नहीं है।
	अन्य	
कर्तव्य	1. विभागीय रोपणी, विभागीय योजनाओं का क्रियांवयन करना व कराना।	

### 3.2 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी (विकासखंड स्तर)	
शक्तियाँ	प्रशासनिक	1. रोपणी स्तर पर पदस्थ अधिकारी को कोई प्रशासकीय अधिकार प्रदत्त नहीं है।
	वित्तीय	1. कोई वित्तीय अधिकार प्रदत्त नहीं है।
	अन्य	
कर्तव्य	1. विभागीय रोपणी, विभागीय योजनाओं का क्रियांवयन करना व कराना।	

### 3.5 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	सहायक ग्रेड-2	
शक्तियाँ	प्रशासनिक	नहीं है।
	वित्तीय	नहीं है।
	अन्य	नहीं है।
कर्तव्य	1. शाखा प्रभारी के रूप में नस्त्रियों का प्रस्तुतीकरण माध्यम 2. शाखा की जानकारी हेतु उत्तरदायित्व । 3. शासन से संबंधित जानकारी का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण	

### 3.6 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	सहायक ग्रेड-3	
षक्तियां	प्रशासनिक	नहीं है।
	वित्तीय	नहीं है।
	अन्य	नहीं है।
कर्तव्य	1. सहायक के रूप में नस्तियों का प्रस्तुतीकरण । 2. शाखा की जानकारी हेतु उत्तरदायित्व । 3. शाखा जानकारी का संकलन, प्रस्तुतीकरण । 4. मुद्रलेखन । 5. आवक, जावक कार्य । 6. कम्प्युटर कार्य । 7. अन्य सौंपे गये कार्यों का निर्वहन ।	

### 3.7 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	माली	
षक्तियां	प्रशासनिक	नहीं है।
	वित्तीय	नहीं है।
	अन्य	नहीं है।
कर्तव्य	सीड बैंड तैयार करना, क्यारियां प्रतिरोपण हेतु तैयार करना, बीज बीमा, कटिंग, सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई एवं पौध संरक्षण दवाई का छिड़काव करना, रूट स्टाक एवं बडस्टिक तैयार करना, बडिंग, ग्राफटिंग, लेयरिंग, कटिंग, पौध उत्पादन कार्य करना, मातृ-वृक्षों के थाले बनाना, टेमिंग प्रूनिंग, पौध संरक्षण, दवा का स्प्रे एवं मातृ वृक्षों की देख रेख, पौध उत्पादन संबंधी समस्त कार्य, डेली कार्य डायरी का रख रखाव आदि ।	

### 3.8 अधिकारियों और कर्मचारियों को शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पद का नाम	भृत्य	
शक्तियाँ	प्रशासनिक	नहीं है।
	वित्तीय	नहीं है।
	अन्य	नहीं है।
कर्तव्य	1. डाक वितरण 2. शाखाओं की नस्तियों का लाना एवं ले जाना ।	

### अध्याय-4 (मैनुअल-3)

## कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

### 4.1 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख का नाम:—

कृषि विभाग का मैनुअल

अभिलेख का प्रकार :—

मैनुअल

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :—

उद्यानिकी विभाग भी कृषि विभाग का ही एक अंग होने से कृषि विभाग का जो मैनुअल है वही उद्यानिकी विभाग को लागू होना है। इसमें विभाग के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तीन खण्डों में किया गया है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहीं से प्राप्त कर सकते हैं :—

पता : संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

दूरभाष कः 0755-2767413

फैक्स 0755-2768159

ई-मेल dirhort @mp.nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय  
शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा की प्रति को  
प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) :-

## अध्याय-5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श  
के  
लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

## अध्याय-5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श  
के  
लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

- 5.1 क्या लोक प्राधिकारण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि को परामर्श / भागीदारी का कोई प्रावधान है ?

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
---------	-------------------	--	--

		है. (हाँ/नहीं)	
—	—	—	—

\* कोई प्रावधान नहीं है ।

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन- प्रतिनिधि से / को परामर्श / भागीदारी का कोई प्रावधान है ?

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है. (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
—	—	—	—

\* कोई प्रावधान नहीं है ।



## अध्याय-6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों  
का प्रवर्गों (कैटेगरी) के अनुसार विवरण

## अध्याय-6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों  
का प्रवर्गों (कैटेगरी) के अनुसार विवरण

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	रजिस्टर	अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी	उपस्थिति संबंधी जानकारी	मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार
2.	रजिस्टर	कार्यालय का आवक-	शासकीय पत्रों का आवक	---"---

		जावक रजिस्टर	जावक विवरण		लिपिक
3.	रजिस्टर	मासिक बैठक में उपस्थिति संबंधी रजिस्टर	बैठक में उपस्थित संबंधी जानकारी	---"---	पटल प्रभारी तकनीकी शाखा
4.	रजिस्टर एवं नस्तियां	कर्मचारियों/अधिकारियों की व्यक्तिगत नस्तियां एवं सेवा पुस्तिका पंजी	कर्मचारियों/ अधिकारियों का व्यक्तिगत विवरण एवं उनसे संबंधित जारी आदेशों की प्रतियां	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-1
5.	रजिस्टर	वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति पंजी	कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतन वृद्धि स्वीकृति का विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-1
6.	रजिस्टर	पेंशन प्रकरण पंजी	अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की स्थिति	---"---	पटल प्रभारी स्थापना
7.	रजिस्टर एवं नस्तियां	न्यायालयीन प्रकरण पंजी एवं नस्तियां	विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी एवं की जाने वाली कार्यवाहियां	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-1
8.	रजिस्टर एवं नस्तियां	विभागीय जांच पंजी एवं नस्तियां	अनियमितता संबंधी आरोप प्रकरणों की स्थिति एवं उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण।	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-1
9.	रजिस्टर/ कम्प्यूटरीकृत	विभागीय योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति एवं प्रगति पंजी	योजनावार लक्ष्य पूर्ति की मासिक प्रगति	---"---	पटल प्रभारी तकनीकी शाखा
10.	रजिस्टर/ कम्प्यूटरीकृत	आवंटन वितरण पंजी	लेखा शीर्षवार प्राप्त आवंटन की स्थिति	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
11.	रजिस्टर/ कम्प्यूटरीकृत	मासिक आय व्यय पंजी	लेखा शीर्षवार मासिक आय व्यय के संकलन का ववरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
12.	रजिस्टर	स्कंध पंजियां	स्थायी, अस्थायी प्रकृति के स्कंधों की क्रय संबंधी प्रविष्टिया	---"---	पटल प्रभारी भण्डार
13.	रजिस्टर	रोकड़ पंजी	कार्यालय में किए गए आहरण एवं भुगतान का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
14.	रजिस्टर	देयक पंजी	कार्यालय में तैयार किए देयकों का पंजीयन का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
15.	रजिस्टर	कटिन्जेंट पंजी	आकस्मिक व्यय के देयकों का विवरण इन्द्राज किया जाना है।	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
16.	रजिस्टर	जीपीएफ/ डीपीएफ कटौत्रा पंजी	कर्मचारियों की कटौत्रा राशि का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
17.	रजिस्टर	त्यौहार अग्रिम पंजी	कर्मचारियों की कटौत्रा राशि का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
18.	रजिस्टर	अनाज अग्रिम पंजी	कर्मचारियों की कटौत्रा राशि का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा

18.	रजिस्टर	आकस्मिक व्यय अग्रिम पंजी	आहरण की गई आकस्मिक व्यय राशि के भुगतान हेतु दिए अग्रिम का विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-2
20.	रजिस्टर	यात्रा देयक नियंत्रण पंजी	कार्यालय कर्मचारी / अधिकारी के यात्रा देयकों का विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-2
21.	रजिस्टर	चिकित्सा देयक नियंत्रण पंजी	कार्यालय कर्मचारी / अधिकारी के चिकित्सा देयकों का विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-2
22.	रजिस्टर	एक्वेटेंस रोल पंजी	भत्तों आदि भुगतान की प्राप्ति का विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-2
23.	रजिस्टर	जीपी एफ / डीपीएफ अग्रिम / आंशिक विकर्षण पंजी	स्वीकृति विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-2
24.	रजिस्टर	डीबीएफ अंतिम विकर्षण पंजी	स्वीकृति विवरण	---"---	पटल प्रभारी स्थापना-2
25.	रजिस्टर	आयकर / वृत्तिकर कटौती पंजी	कर्मचारी के मासिक कटौती का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
26.	रजिस्टर	पे-डेटा पंजी	कर्मचारी के वेतन विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
27.	रजिस्टर	चालान पंजी	जमा की गई आय राशि का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा
28.	रजिस्टर	एम.पी.टी.सी.-6 / मस्टर रोल स्कंध पंजी	प्राप्ति एवं वितरित स्कंध का विवरण	---"---	पटल प्रभारी भण्डार
29.	रजिस्टर	बैंक ड्राफ्ट पंजी	प्राप्त होने वाले व बाहर भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट का विवरण	---"---	पटल प्रभारी लेखा शाखा

## **अध्याय-7 (मैनुअल-6)**

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

## **अध्याय-7 (मैनुअल-6)**

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

----- निरंक -----

## अध्याय – 8 (मैनुअल – 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

## अध्याय – 8 (मैनुअल – 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम— कार्यालय सहायक संचालक उद्यान मोहन नगर,  
छिन्दवाडा (म.प्र.)

8.1 सहायक लोक सूचना अधिकारी—

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
				कार्याल य	आवा स			
1	श्री सुरेश कुमार जैन	बरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	07492	233364	—	—	—	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान षिवपुरी
2	„के0एस0डोंगरा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला षिवपुरी
3	श्री सुखराम सिंह तोमर	—,,—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला कोलारस
4.	श्री रवीषकर सोनी	—,,—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला सजाई
5	श्री आर0पी0 कटियार	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला नरवर
6	श्री गयाप्रसाद मेहते	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला खेराघाट
7	श्री चन्द्रषेखर राजपूत	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला धामोरा

## 2 लोक सूचना अधिकारी—

क्र.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्याल य	आवा स			
1	श्री एम0पी0 शाक्यवार	सहायक संचालक उद्यान	07492	233632	—	—	—	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान षिवपुरी
2	श्री बकीलसिंह	वरिष्ठ	—	—	—	—	—	शासकीय

	गुर्जर	उद्यान विकास अधिकारी							पौधषाला कोलारस
3	श्री हुक्मचंद गर्ग	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला सजाई
4.	श्री रामलखन मिश्रा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला खेराघाट
5	श्री विनोद कुमार पाठक	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला नरवर
6	श्री आर.एस. यादव	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला धामोरा
7	श्री राजकुमार मिथौरिया	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	—	—	—	—	—	—	शासकीय पौधषाला षिवपुरी

**8.3 विभागीय अपीलेंट अथारिटी :- (सहायक संचालक उद्यान से संबंधित सूचना के लिये)**

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	निवास			
1.	श्री अजय कुमार शर्मा	मुख्य कार्यपालन	07492	233249	—	—	—	कार्यालय मुख्य



		अधिकारी, जिला पंचायत						कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत षिवपुरी
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

## अध्याय-9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

## अध्याय-9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

– विभागीय मैन्यूअल, विभागीय भर्ती नियम, शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों तथा अन्य नियम, उपनियम का उपयोग सन्दर्भ के रूप में किया जाता है।

**9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है ? अथवा निर्णय लेने के लिये किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?**

– आवश्यक समझा जाने पर विभागीय अधिकारियों की समिति का गठन कर निर्णय लिया जाता है ।

**9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने के लिये क्या व्यवस्था है ?**

- मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से
- जिला कार्यालयों में सूचना पट्ट पर चस्पा कर
- विभाग की वेब-साईट

**9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों को संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?**

– जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को

**9.5 अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी ?**

- संचालक उद्यानिकी मध्य प्रदेश शासन, (संचालनालय स्तर पर)
- सचिव कृषि, मध्य प्रदेश शासन (शासन स्तर पर)

**9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है ?**

क्र० सं०	विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय)	दिशा-निर्देश	निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्णय लेने में शामिल	निर्णय लेने में शामिल	निर्णय के विरुद्ध कहाँ और

	लिया जाना है)			अधिकारी के पदनाम	अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	कैसे अपील करें
1	अवकाश	मध्य प्रदेश शासन का अवकाश नियम	विदिनिष्ट नियम अनुसार	सहायक संचालक उद्यानिकी (वर्ग-3 एवं 4 स्तर तक)	प्रकाशित है	संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल

## अध्याय-10 (मैनुअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

## अध्याय-10 (मैनुअल-9)

विभाग के अधिकारियों की निर्देशिका

क्र.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्याल य	आवास			

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान छिन्दवाडा								
1	श्री एम.पी. षाक्यवार	सहा.संचा.उ.	07492	233632	233632	-	-	सहा.संचा.उद्यान षिवपुरी
<b>विकासखंड स्तर</b>								
2	श्री सुरेश कुमार जैन	वरि.उ.वि.अ.	--	--	233364	-	-	--
3	श्री हरीसिंह यादव	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	वर्तमान में निलं.
4.	श्री संतोषीलाल षर्मा	सहा.ग्रेड-2	--	--	-	-	-	--
5	श्री राम प्रकाश कौषल	सहा.ग्रेड-3	--	--	-	-	-	--
6	श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय	--	--	--	-	-	-	--
7	श्री राम चरण बैरागी	भृत्य	--	--	-	-	-	--
8	श्री राजकुमार मिथौरिया	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	--
9	श्री कैलाशसिंह डोंगरा	--	--	--	-	-	-	--
10	श्री बकील सिंह गुर्जर	वरि.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	षा.पौ.कोलारस
11	श्री सुखरामसिंह तोमर	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	--
12	श्री पहलवानसिंह लौधी	--	--	--	-	-	-	--
13	श्री हुक्मचंद आर्य	--	--	--	-	-	-	--
14	श्री हेतराम तरवरिया	सहा.ग्रेड-3	--	--	-	-	-	--
15	श्री सुखलाल किरार	माली	--	--	-	-	-	--
16	श्री मतिया ढीमर	माली	--	--	-	-	-	--
17	श्री भीकमसिंह लौधी	माली	--	--	-	-	-	--
18	श्री हुक्मचंद गर्ग	वरि.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	षा.पौ.सजाई
19	श्री रविषंकर सौनी	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	--
20	श्री चेताराम अर्गल	--	--	-	-	-	-	--
21	श्री प्रेमनारायण मिश्रा	--	--	--	-	-	-	--
22	श्री मुजीबखान	--	--	--	-	-	-	--
23	श्री आर.पी.कौल	माली	--	--	-	-	-	--
24	श्री विनोद कुमार पाठक	वरि.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	षा.पौ.नरवर
25	श्री राम प्रकाश कटियार	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	-	-	-	--
26	श्री महेन्द्रसिंह राजपूत	--	--	--	-	-	-	--
27	श्री राजेन्द्रसिंह जादौन	सहा.ग्रेड-3	--	--	-	-	-	--
28	श्री केषवकिषोर राजौरिया	माली						
29	श्री परमलाल	माली	--	--	-	-	-	--

30	श्री उत्तमसिंह जाटव	--	--	--	--	--	--	--
31	श्री राम लखन मिश्रा	वरि.उ.वि.अ.	--	--	--	--	--	षा.पौ.खैराघाट
32	श्री ग्याप्रसाद मेहते	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	--	--	--	--
33	श्री राकेष कुमार नीखरा	--	--	--	--	--	--	--
34	श्री अषोक कुमार वर्मा	--	--	--	--	--	--	--
35	श्री अमल गुप्ता	सहा.ग्रेड-3	--	--	--	--	--	--
36	श्री मन्मूलाल जाटव	माली	--	--	--	--	--	--
37	श्री आर.एस. यादव	वरि.उ.वि.अ.	07492	233632	--	--	--	षा.पौ.धामौरा
38	श्री चन्द्रषेखर राजपूत	ग्रा.उ.वि.अ.	--	--	--	--	--	--
39	श्री सीताराम षर्मा	--	--	--	--	--	--	--
40	श्री राधेमोहन षर्मा	--	--	--	--	--	--	--
41	श्री शिवकरण सिंह चौहान	--	--	--	--	--	--	--
42	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	--	--	--	--	--	--	--
43	श्रीमति प्रभा गुप्ता	सहा.ग्रेड-3	--	--	--	--	--	--
44	श्री सूरतराम बघेल	माली	--	--	--	--	--	--
45	श्री अष्वनी कुमार रात्रे	माली	--	--	--	--	--	--
46	श्री बच्चू/प्रथ्वी	माली	--	--	--	--	--	--
47	श्री बच्चू/माधौ	माली	--	--	--	--	--	--

## अध्याय-11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक  
और उसके निर्धारण की पद्धति

## अध्याय-11 (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण  
की  
पद्धति



क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई है।
1	श्री एम.पी.षाक्यवार	सहा.संचा. उद्यान	13253	—	षासन नियमानुसार
2	श्री सुरेश कुमार जैन	वरि.उ.वि.अ.	12919	—	—''—
3	श्री हरीसिंह यादव	ग्रा.उ.वि.अ.	7266	—	—''—
4	श्री संतोषीलाल षर्मा	सहा.ग्रेड-2	8265	—	—''—
5	श्री राम प्रकाश कौषल	सहा.ग्रेड-3	6495	—	—''—
6	श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय	—''—	4778	—	—''—
7	श्री राम चरण बैरागी	भृत्य	5023	—	—''—
8	श्री राजकुमार मिथौरिया	ग्रा.उ.वि.अ.	7640	—	—''—
9	श्री कैलाषसिंह डोंगरा	—''—	10434	—	—''—
10	श्री बकील सिंह गुर्जर	वरि.उ.वि.अ.	12865	—	—''—
11	श्री सुखरामसिंह तोमर	ग्रा.उ.वि.अ.	10275	—	—''—
12	श्री पहलवानसिंह लौधी	—''—	10635	—	—''—
13	श्री हुक्मचंद आर्य	—''—	7795	—	—''—
14	श्री हेतराम तरवरिया	सहा.ग्रेड-3	7151	—	—''—
15	श्री सुखलाल किरार	माली	4990	—	—''—
16	श्री मतिया ढीमर	माली	5070	—	—''—
17	श्री भीकमसिंह लौधी	माली	4897	—	—''—
18	श्री हुक्मचंद गर्ग	वरि.उ.वि.अ.	12400	—	—''—
19	श्री रविषंकर सौनी	ग्रा.उ.वि.अ.	9694	—	—''—
20	श्री चेताराम अर्गल	—''—	8547	—	—''—
21	श्री प्रेमनारायण मिश्रा	—''—	9650	—	—''—
22	श्री मुजीबखान	—''—	9493	—	—''—
23	श्री आर.पी.कौल	माली	4990	—	—''—
24	श्री विनोद कुमार पाठक	वरि.उ.वि.अ.	11470	—	—''—
25	श्री राम प्रकाश कटियार	ग्रा.उ.वि.अ.	10469	—	—''—
26	श्री महेन्द्रसिंह राजपूत	—''—	9965	—	—''—
27	श्री राजेन्द्रसिंह जादौन	सहा.ग्रेड-3	6654	—	—''—
28	श्री केषवकिषोर राजौरिया	माली	5070	—	—''—
29	श्री परमलाल	माली	5070	—	—''—

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई है।
30	श्री उत्तमसिंह जाटव	—''—	5070		—''—
31	श्री राम लखन मिश्रा	वरि.उ.वि.अ.	12325	—	—''—
32	श्री ग्याप्रसाद मेहते	ग्रा.उ.वि.अ.	10469	—	—''—
33	श्री राकेष कुमार नीखरा	—''—	10635	—	—''—
34	श्री अषोक कुमार वर्मा	—''—	10635	—	—''—
35	श्री अमल गुप्ता	सहा.ग्रेड-3	5541	—	—''—
36	श्री मन्नूलाल जाटव	माली	5070	—	—''—
37	श्री आर.एस. यादव	वरि.उ.वि.अ.	12168	—	षासन नियमानुसार
38	श्री चन्द्रषेखर राजपूत	ग्रा.उ.वि.अ.	10275	—	—''—
39	श्री सीताराम षर्मा	—''—	9335	—	—''—
40	श्री राधेमोहन षर्मा	—''—	11028	—	—''—
41	श्री षिवकरण सिंह चौहान	—''—	9'500	—	—''—
42	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	—''—	8390	—	—''—
43	श्री संजय दुवे	सहा.ग्रेड-3	6223	—	—''—
44	श्रीमति प्रभा गुप्ता	सहा.ग्रेड-3	5684	—	—''—
45	श्री अष्वनी कुमार रात्रे	माली	4897	—	—''—
46	श्री बच्चू/प्रथ्वी	माली	5070	—	—''—
47	श्री बच्चू/माधौ	माली	5070	—	—''—
48	„ संजय दुबेए	सहा.ग्रेड-3	5684	—	—''—

## अध्याय-12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

## अध्याय-12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2004-2005

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य समापन को अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किशतों में	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ. आयोजनेत्तर 13-2401 (एन.पी.)</b>									
1	वर्तमान उद्यानों के विकास की योजना-3902	रोपणियों का विकास एवं अमला	1/4/04	31-03-05	33.26	38.02	3	31.04	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.अ.
<b>64-2401 (अनुसूचित जाति)</b>									
2	02807-फलपौध रोपण योजना	उद्यानो का विकास एवं अमला	1/4/04	31-03-05	11.33	13.62	3	10.64	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.अ.
<b>41-2202 (अनुसूचित जनजाति)</b>									
3	41-2202 नये पौध शालाओं की स्थापना	जिला स्तर के कार्यालय का अमला	1/4/04	31-03-05	4.22	0.98	2	0.86	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान
	41-7338 प्रशिक्षण	-	1/4/04	31-03-05	0.10	0.10	1	-	.
4	13-2401-655 एकीकृत मसाला विकास	जिला स्तर के कार्यालय का अमला	1/4/04	31-03-05	11.94	9.84	3	9.87	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान
<b>ब. आयोजना 13-2401 (प्लान)</b>									
1	विज्ञापन एवं मेला प्रचार- प्रसार- 9172	प्रदर्शनी, मेला सेमीनार	1/4/04	31-03-05	0.80	0.80	1	0.80	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.अ.

	9176 प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	1/4/04	31-03-05	0.50	0.50	2	0.50	--,-
2	एकीकृत उद्यान विकास योजना-655	जिला कार्यालय का व्यय	1/4/04	31-03-05	0.00	1.21	1	0.08	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.अ.
3	नये उद्यानो तथा पौध शालाओं की स्थापना - 2202	रोपणियों का विकास एवं अमला	1/4/04	31-03-05	18.33	11.20	2	12.66	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.अ.
4	उद्यान विकास योजना- 9188	पुरानी रोपणियो का विकास	1/4/04	31-03-05	1.12	0.10	1	0.10	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.अ.
3	प्रशिक्षण कार्यक्रम-0655	उद्यानिकी अधि./कर्म. को प्रशिक्षण	1/4/04	31-03-05	0.0	0.70	1	0.50	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान एवं वि.खं. स्तर पर व.उ.वि.

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन को अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किश्तों में	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
------	--------------	-------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	-------------	---------------------------------	----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फलपौध रोपण	तकनीकी	1.4.04	31.3.05	40000 0	4000 00	2	3353 05	उद्यान अधीक्षक
2	साग-भाजी यो.	--	--	--	30000 0	3000 00	2	2913 65	--
3	मसाले की योजना	--	--	--	30000 0	3000 00	2	3000 00	--
4	म.प्र. घरेलू वागवानी योजना	--	--	--	42500 0	4250 00	2	4124 00	--
5	औषधि विकास योजना	--	--	--	30000 0	3000 00	2	3000 00	--
6	पुष्प विकास योजनस	--	--	--	16000 0	1600 00	2	1599 49	--
7	मेला प्रदर्शनी	--	--	--	80000	8000 0	1	8000 0	--
8	उद्यानिकी प्रषिक्षण योजना	--	--	--	50000	5000 0	2	5000 0	--
	योग :-	-	-	-	20150 00	2015 000		1929 019	-

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक	कार्य के समापन को अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किशतों में	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	मैक्रोमेनेजमेंट								
2-	फलपौध रोपण मसाला विकास	तकनीकी	--	--	16000 00	7370 00	एक	7199 14	उद्यान अधीक्षक

### अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये 2005-06

क्र / मद	प्रस्तावित	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा	कुल व्यय
----------	------------	-------------	-------------	----------

		बजट		पदत्त किष्टों में	
	80 (सामान्य)				
1	फलपौध रोपण योजना	200000	200000	प्रथम	7000
2	सागभाजी योजना	150000	150000	—''—	133060
3	मसालेकी योजलना	300000	300000	—''—	—
4	म.प्र. घरेलू वागवानी	175000	175000	—''—	170200
5	औषधि फसल योजना	300000	300000	—''—	300000
6	पुष्प विकास योजना	60000	60000	—''—	—
	योग :-	1185000	1185000	—''—	610260
	15 (हरिजन )				
1	फलपौध रोपण योजना	100000	100000	—''—	5000
2	सागभाजी योजना	75000	75000	—	64553
3	मसाले की योजना	50000	50000	—''—	—
4	म.प्र.घरेलू वागवानी	125000	125000	—''—	121500
5	औषधि फसल योजना	50000	50000	—''—	50000
6	पुष्प विकास योजना	20000	20000	—''—	—
	योग :-	420000	420000	—''—	241053
	82 (आदिवासी )				
1	फलपौध रोपण योजना	100000	100000	—''—	2000
2	सागभाजी योजना	75000	75000	—''—	60352
3	मसाले की योजना	50000	50000	—''—	—
4	म.प्र.घरेलू वागवानी	125000	125000	—''—	121850
5	औषधि फसल योजना	50000	50000	—''—	20000
6	पुष्प विकास योजना	20000	20000	—''—	20000
	योग :-	420000	420000	—	234202
	महायोग :-	2025000	2025000	—	1085515

## 12.2 अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये

— नि रं क —



## अध्याय-13 (मैनुअल-12)

अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

## अध्याय-13 (मैनुअल-12)

अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

### 13.1

कार्यक्रम/योजना का नाम :

फल पौध रोपण कार्यक्रम

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा :	निरन्तर
कार्यक्रमका उद्देश्य :	फल पौध क्षेत्र में विस्तर एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना ।
कार्यक्रमके भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :	वर्ष 2004-05 में भौतिक (है.) 50 वित्तीय (लाख रू.) 4.00
लाभार्थी की पात्रता :	भूमि स्वामी होना एवं सुनिश्चित सिंचाई का साधन होने पर ।
पूर्वापेक्षाएँ :	फलों के उत्पादन में वृद्धि ।
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :	आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के उपरान्त ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन करने पर निर्धारित अनुदान दिया जाता है ।
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड :	बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।
दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण :	नाबार्ड की इकाई लागत निर्धारण समिति जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो : के द्वारा फलवार प्रति हैक्टेयर अनुमोदित राशि की 25 प्रतिशत राशि के समतुल्य वस्तु के रूप में अनुदान देय है ।

नीबू वर्गीय-	12650
--------------	-------

अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :	आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ।
आवेदन करने के लिये कहाँ /किससे सम्पर्क करें :	विकासखण्ड स्तरीय रोपणी कार्यालय में उद्यान अधीक्षक से ।
आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं
अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं
आवेदन का प्रारूप :	

प्रपत्र-1  
**फल पौध रोपण अनुदान योजना**  
जिला ..... विकासखण्ड .....  
**अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन - पत्र**

प्रति,

सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला .....

द्वारा : उचित माध्यम (उद्यान अधीक्षक .....

निवेदन है कि मैं कृषक ..... आत्मज .....

ग्राम ..... विकासखण्ड ..... जिला .....

फल पौध रोपण अनुदान योजना के अंतर्गत मेरे स्वामित्व की भूमि..... रकबा.....

खसरा क्रमांक ..... में ..... का उद्यान लगाना चाहता हूँ ।

पूर्व में मैंने अपनी भूमि पर ..... रकबे में ..... फलों .....(फलों के नाम लिखें) का उद्यान लगाया है । मुझे इस कार्य में रुचि है । मेरे पास सिंचाई के सुनिश्चित साधन उपलब्ध हैं । मेरी भूमि उपयुक्त है ।

मैं योजना के प्रावधान के अनुसार उद्यान विभाग के अधिकारियों की सलाह से कार्य करूंगा । अतः निवेदन है कि मुझे योजना में प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप अनुदान स्वीकृत किया जावे ।

योजना के माध्यमों के अनुरूप मैं, यह भी वचन देता हूँ कि उद्यान में लगाये गये पौधों में से कम से कम 80 प्रतिशत पौधे जीवित रखूंगा तथा पौधों के रख रखाव पर उचित ध्यान दूंगा । यदि पौधों का जीवित प्रतिशत निरीक्षण के समय कम पाया जावे या उद्यान का रख रखाव उचित ढंग से न होने की स्थिति में मुझे दी गई अनुदान की समस्त राशि का एक मुश्त राजस्व की बकाया राशि के रूप में विभाग द्वारा वसूल कर ली जावे ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर कृषक .....

संलग्नों की सूची :

खसरा पांचसाला एवं नक्शा

संलग्नों का प्रारूप :

नहीं

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहीं सम्पर्क करें : जिला स्तरीय अधिकारी से

उपलब्ध धनराशि का विवरण :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर,इत्यादि)

लाभार्थियों की सूची :

कृषक सूची जिला स्तर विकासखंड स्तर पर संधारित है

### फलोद्यान रोपण – लाभार्थियों की सूची

क्र /	लाभार्थी /पिता का नाम	वर्ग	ग्राम	वि.ख.	रकवा हैक्टर	फलोद्यान का नाम	अनुदान राशि
1	श्री महेन्द्रसिंह/गिरवर .	सा	परोडा	कोलारस	0.500	नीबू	2500

2	श्री अनुराग / जगदीष	—'—	मचाखुर्द	पोहरी	0.500	—''—	2500
3	श्री लालाराम / महाराजसिंह	—'—	कोडवदा	षिवपुरी	0.500	—''—	2500
4	श्री हरचरणसिंह / देवसिंह	—'—	भौराना	पोहरी	0.500	—''—	2500
5	श्री राकेष / कृष्णसिंह	—'—	रामपुर	कोलारस	0.500	—''—	2500
6	श्री बाबू / फूलसिंह	—'—	कुम्रौआ	कोलारस	0.500	—''—	2500
7	श्री नक्षत्रसिंह / निरजनसिंह	—'—	रमतला	कोलारस	0.500	—''—	2500
8	श्री दौजा / मंगलिया	अनुजा	परोडा	कोलारस	0.500	नीबू	2500
9	श्री कल्लन / मोती जाटव	—'—	—''—	कोलारस	0.500	—'—	2500
10	श्री लटोरा / संकरिया	—'—	जुझाई	करैरा	0.500	—''—	2500
11	श्री रघुआ / षंकरिया	—'—	एनवारा	बदरवास	1.000	—''—	5000
12	श्री भरोसा / जोधा	—'—	रामपुर	कोलारस	0.500	—''—	2500
13	श्री षिवराम / श्री बाबू	—'—	पनघटा	नरवर	1.000	—''—	5000
14	श्री समरू / किषोरी	—'—	भौराना	पोहरी	0.500	—''—	2500
15	श्री विरजू / काषी	—''—	मोहरा	पोहरी	1.000	—''—	5000
16	श्री जगदीष / रामलाल	—''—	माधौपुर	पोहरी	0.500	—''—	2500
17	श्रीमति सुषीला / भगवत	—''—	सेमरा	करैरा	0.500	—''—	2012
18	श्री हदुआ / मुन्ना	—''—	करोडा	करैरा	0.500	—''—	2012
19	श्री राधाचरण / मोतीलाल	—''—	एनवारा	बदरवास	1.000	—''—	4025
20	श्री दीवानसिंह / मंगलसिं	—''—	बूढाडोगर	बदरवास	1.000	—''—	4025
21	श्री बादामसिंह / विषनला	सामा.	कोडवदा	षिवपुरी	1.000	आंवला	4025
22	श्रीमती गुडडी / राजाराम	—''—	मानपुर	पोहरी	0.500	—''—	2012
23	श्री रामचरण / ग्यासीलाल	—''—	नौगांव	—''—	0.500	—''—	2012
24	श्री रामचरण / प्रभू	—''—	नानौरा	पोहरी	0.500	—''—	2012
25	श्री षिखरचंद / मांगीलाल	—''—	मचाखुर्द	पोहरी	1.00	—''—	4025
26	श्री अजयकुमार / हरीप्रसाद	—''—	सोनीपुरा	पोहरी	1.250	—''—	5031
27	श्रीमती सरोजवाई / राजकुमार	—''—	धतूरा	पोहरी	0.500	—''—	2012
28	श्री केष्वनारायण / षिवकरण	—''—	भेदरा	पोहरी	0.500	—''—	2012
29	श्री बादामसिंह / नैकसिया	—''—	पनघटा	नरवर	1.000	—''—	4025
30	श्री सुषील / जुगलकिषोर	—''—	सिंकदरपुर	नरवर	1.000	—''—	4025
31	श्री राकेष / कृष्णवल्लभ	—''—	रामपुर	कोलारस	0.500	—''—	2012
32	श्री सीताराम / नारायणसिंह	—''—	रावत	कोलारस	1.000	—''—	4025
33	श्री रामप्यारी / रतना	—''—	रामपुर	कोलारस	1.000	—''—	4025
34	श्री नथत्रसिंह / निरंजनसिंह	—''—	रमतला	कोलारस	0.500	—''—	2012
35	श्री जगदीषनाराण / निरंजसिंह	—''—	कोलारस	कोलारस	0.500	—''—	2012
36	श्री मुरारी / फूलसिंह	—''—	कुम्रौआ	कोलारस	0.500	—''—	2012
37	श्री पर्वतसिंह / पन्नालाल	—''—	चंदौरिया	कोलारस	0.250	—''—	1006
38	श्री प्रभूदयाल / परमेष्	—''—	सेमरा	करैरा	1.000	—''—	4025
39	श्रीमती मुन्नीवाई / माधौ	—''—	पनघटा	नरवर	1.000	—''—	4025
40	श्री सुरेष / बाबू	—''—	नारायणपुर	नरवर	1.000	—''—	4025
41	श्रीमती कुष्मल / रामजीलाल	—''—	चंदौरिया	कोलारस	0.250	—''—	1006
42	श्री अमरलाल / प्रभू	—''—	—''—	कोलारस	0.500	—''—	2012
43	श्री नानंदी / नारायण	—''—	परोडा	कोलारस	0.500	—''—	2012

44	श्री खेमराज/रमुआ	—''—	सेमरा	करैरा	0.500	—''—	2012
45	श्री बरई/बैजू जाटव	—''—	चन्दावरा	करैरा	0.500	—''—	2012
46	श्री कंगलियारु/मन्सीगा	—''—	नैगवा	बदरवास	1.000	आंवला	4025
47	श्री ग्यारसी/पंकरिया	—''—	ऐनवारा	बदरवास	1.000	—''—	4025
48	श्री सावो/रामलाल	—''—	माधौपुर	पोहरी	0.500	—''—	2012
49	श्री मुरारी/खच्चू	—''—	ककरा	पोहरी	0.750	—''—	3018
50	हटीला/हरीराम	—''—	नौन्हेटा	पोहरी	0.500	—''—	2012
51	श्री जगराम/मुकुन्दी	—''—	माधौपुर	पोहरी	0.250	—''—	1006
52	श्री नेतराम/किषोरी	—''—	पिपरौदा	पोहरी	0.500	—''—	2012
53	श्री हरी/वलुआ	—''—	सिकंदपुर	पोहरी	0.500	—''—	2012
54	श्री समरथ/मंगलिया	अजजा	बमना	पिछोर	0.500	नीबू	2012
55	श्री सुन्दरा/गनेष	—''—	दुनी	खनियां.	0.500	''	2012
56	श्री किषनलाल/पन्नालाल	''	नगरैला	खनियां.	0.500	''	2012
57	श्री श्रीपत/पन्ना	''	भरसूला	''	0.500	''	2012
58	श्री श्रीपत/पन्ना	''	''	''	0.500	''	2012
59	श्री संतोष/धनसिंग	''	नयागाव	''	0.500	''	2012
60	श्री प्याललाल/भुजिया	''	मनपुरा	पिछोर	0.500	''	2012
61	श्रीमती दसिया/बारेलाल	''	ककरौआ	''	0.250	''	1250
62	श्री सरमना/बंधी	''	''	''	0.250	''	1250
63	श्री जम्बे/पहलू	''	करई	''	0.500	''	2012
64	श्री कोमल/लल्ला	''	''	''	0.500	''	2012
65	श्री रामचरण/भीमा	अनुजा	वनगवा	करैरा	1.000	आंवला	4025
66	श्री पहलू/आनन्दी	''	बीलरा	षिवपुरी	1.000	''	4025
67	श्री दौलतिया/बद्री	''	कौडवदा	षिवपुरी	1.000	''	4025
68	श्री जगना/मुलुआ	''	उमरीखुर्द	पिछोर	0.250	नीबू	1250
69	श्री दयाराम/सुनुआ	''	''	''	0.250	''	1250
70	श्री कल्याण/दौला	''	''	''	0.250	''	1250
71	श्री रामप्रसाद/गंगाराम	''	''	''	0.250	''	1250
72	श्री रामनरेश/ओंकारलाल	सामा.	बमना	''	1.000	''	4025
73	श्री देशराज/रामदयाल	''	दुनी	''	0.500	''	2012
74	श्री लालाराम/जगना	''	''	''	0.500	''	2012
75	श्रीमती रामकली/रामदास	''	बीरपुरी	खनियां.	0.500	''	2012
76	श्री दिनेष/भैयासाहव	''	गजौरा	''	0.500	''	2012
77	श्री हरमान/रामदयाल	''	भरसूला	''	0.500	''	2012
78	श्री सुरेशकुमार/रामस्वरूप	''	खुर्द	''	0.500	''	2012
79	श्री पूरनसिंह/गज्जू	''	नयागांव	''	0.500	''	2012
80	श्री उमादेवी/अषोक कुमार	''	मनपुरा	पिछोर	0.500	''	2500
81	श्री केषवप्रसाद/विष्वनाथ	''	''	''	0.500	''	2500

केन्द्र प्रायोजित योजना (मैकोमेनेजमेंट) :-

क /	लाभार्थी / पिता का नाम	वर्ग	ग्राम	वि.ख.	रकवा हैक्टर	फलोद्यान का नाम	अनुदान राशि
1	श्री रामकृष्ण / फैली	सा	किष्णपुर	नरवर	1.000	नीबू	1750
2	श्री गोपालसिंह / त्रिलोकसिंह	"	रकावदा	"	1.000	"	1750
3	श्री रघुनंदन / रामप्रसाद	"	बरखाडी	"	1.000	"	1750
4	श्री मुकुन्दीलाल / चिरोजीलाल	"	करैरा	करैरा	0.500	"	875
5	श्रीमती कुसुम / फेरनसिंह	"	सिरसौद	"	0.500	"	875
6	श्री राजाराम / हल्कू	"	सेमरा	"	0.500	"	875
7	श्री चन्द्रकान्त / रामसहाय	"	दिनारा	"	0.500	"	875
8	श्री महेन्द्रसिंह / बीरसिंह	"	वामौरखुर्द	खनियां.	1.000	"	1750
9	श्री फेरनसिंह / गनेष जू	"	रतवास	"	0.300	"	525
10	श्री नेतसिंह / रामलाल	"	नयागांव	"	0.500	"	875
11	श्री बृजभान / सूवे	"	विजरावन	"	0.400	"	700
12	श्री लखनलाल / बैजू	"	बमैरा	पिछोर	0.500	"	875
13	श्री रामदयाल / दीना लौधी	"	बमैरा	"	0.500	"	875
14	श्री फेरनसिंह / मेहरवानसिंह	"	उमरीखुर्द	"	0.500	"	875
13	वृजेष / श्रीराम	"	उमरीखुर्द	"	0.250	"	875
14	श्री मोहनकुमार / षंकरलाल	"	"	"	0.250	"	875
15	श्री हरनाम / रामदयाल	"	भरसूला	खनियां.	0.500	"	875
16	श्री दुर्गाप्रसाद / प्यारेलाल	"	धुवानी	"	1.000	"	875
17	श्री अखैराज / बाबूसिंह	"	रायचंदखेडी	षिवपुरी	1.000	"	875
18	श्रीमति महारानी / रामभोज	अनु.जा.	नरवर	नरवर	0.500	"	875
19	नन्हैलाल / भूराराम	"	बरखाडी	"	1.500	"	2625
20	श्री सीता / रामदीन	"	कढौरा	करैरा	1.000	"	1750
21	विजय / कमरलाल	"	करई	षिवपुरी	1.000	"	1750
22	काषीराम / घसीटा	"	"	षिवपुरी	1.000	"	1750
23	जगन्नाथ / भीकाराम	"	बूडाडोगर	कोलारस	0.500	"	875
24	चरण / गंभीर	"	"	"	0.500	"	875
25	श्रीमती कोसिया /	"	तिलातिली	बदरवास	1.500	"	2625
26	रघुवर / सुन्दरलाल	"	माढा	"	0.500	"	875
27	रघुवर / खुमान	"	बामोरकलां	खनियां.	0.500	"	875

28	गोकलिया / बहादुर	''	हीरापुर	''	0.500	''	875
29	गनेषराम / पन्नी	आदि.	सेसई	बदरवास	1.000	नीबू	1750
30	विरसा / भूरासिंह	''	माढा	''	1.000	''	1750
31	चतुरी / पहलू	''	करई	षिवपुरी	0.250	''	435
32	श्रीमति भंवरी / सुन्दरा	''	छीपेल	कोलारस	0.500	''	875
33	रघुवर / गंजी आदि	''	छीपेल	कोलारस	0.500	''	875
34	पीतम / खैरा	''	''	''	0.500	''	875
35	रमेष / गोले	''	''	''	0.500	''	875
36	गनेषा / हरदास	''	पडरा	खनियां.	0.500	''	875
37	भनका / अषोका	''	पिपरोनियां	पिछौर	0.500	''	875
38	सरमन / रिनुआ	''	''	''	0.500	''	875
39	रामलाल / पन्ना	''	''	''	0.500	''	875
40	रमेष / हरभान	''	बमना	''	0.500	''	875
41	गुलाब / बंसता	''	''	''	0.500	''	875
42	फूलसिंह / सुनुआ	''	''	''	0.500	''	875
43	श्रीमति कलाबाई / बेव	''	ख्यावदा	नरवर	2.000	''	3500
44	मन्नू / कलुआ	''	करई	षिवपुरी	0.250	''	435
45	हरविलास / जोखा	''	''	''	0.500	''	875
46	पांचो / कन्हई	''	''	''	0.250	''	435
47	पंजनिय / गोरलिया	''	''	''	0.250	''	875
48	मलखान / लालचंद	''	''	''	0.250	''	435
49	श्री षब्बीरखा / बषीर खां	सामा.	भीकमपुर	नरवर	1.000	''	1750
50	श्री राजीव कुमार / रमेषचंद	''	नरौआ	''	1.000	''	1750
51	श्री महेन्द्रसिंह / गिरवरसिंह	''	पडोरा	कोलारस	1.000	''	1750
52	रामपाल / लखू	''	मोहरा	''	0.500	''	875
53	रामपसाद / गंगाराम	''	मोहरा	''	0.500	''	875
54	श्री अमित दुवे / हरीषंकर	''	वीलारा	षिवपुरी	1.000	''	1750
55	श्रीपं. ध्रुवप्रकाश / चिमनलाल	''	फतेहपुर	''	1.000	''	1750
56	श्रीमती गुलाववाई / श्रीकृष्ण	''	बूढाडोगर	बदरवास	0.500	''	875



57	श्रीमती किरन/जगदीष	"	बूढाडोगर	बदरवास	0.500	"	875
58	श्री संतोष कुमार/नरेन्द्रषर्मा	"	ककरौआ	बदरवास	0.500	"	875
59	श्रीमति पूनम/ओमप्रकाश	"	ग्राम गढा	पोहरी	0.500	"	875
60	श्री रामहेत/ प्रभूदयाल	"	ऐचवाडा	"	0.500	"	875
61	श्रीमति कृष्णा/बेरी प्रसाद	"	मचाखुर्द	"	0.500	"	875
62	श्री मातादीन/प्रभूदयाल	"	नहरमढा	"	0.500	"	875
63	बृजमोहन/चन्द्रषेखर षर्मा	"	भटनावर	"	0.500	"	875
64	जयकुमार/अमरचंद्र	"	बीलारा	षिवपुरी	1.000	"	1750
65	श्री विजय/जगदीष	"	ईटमा	"	1.000	"	1750
66	श्रीमति सावित्रीदेवी/ध्वप्रकाश	"	फतेहपुर	षिवपुरी	1.000	"	1750
67	जनवेद/कमरलाल	"	मोहरा	कोलारस	0.500	"	875
68	चौआ/जयकिषन	"	मोहरा	"	0.500	"	875
69	अपरवलसिंह/नारायणसिंह	"	पडोरा	"	1.000	"	1750
70	अषोक कुमार/कन्हैयालाल	"	बूढाडोगर	बदरवास	0.500	"	875
71	श्री घनध्याम/बीरेन्द्र	"	बदरवास	"	0.500	"	875
72	श्री सतीष कुमार/बीरेन्द्र	"	बदरवास	"	0.500	"	875
73	श्री मातादीन/षभूदयाल	"	नहरगढ	पोहरी	0.500	"	875
74	श्री रामचरण/पुन्ना	"	खरवाया	"	0.500	"	875
75	सरवनलाल/ठाकुरालाल	"	परीक्षाअहीर	"	0.500	"	875
76	श्रीमति कषुमल/रामजीलाल	अनुसू. जा.	चन्देरिया	कोलारस	0.300	"	525
77	श्रीमति रामकली/मनीराम	"	कुम्रौआ	"	0.500	"	875
78	श्री भोलाराम/मनोहरा	"	मोहरा	"	0.250	"	435
79	श्री निषा/मांगीलाल	"	पडोरा	"	1.000	"	1750
80	देवीलाल/श्रीया	"	जौराई	पोहरी	0.500	"	875
81	बचनू/जगनू	"	मारू डेडी	"	0.500	"	875
82	नक्टूराम/गदर्ई	"	विलौआ	"	0.500	"	875
83	श्री हल्के/परसू	आदिवा सी	ख्यावदा	नरवर	1.000	आवला	1750
84	जलमा/चतुरी	"	मानकपुर	"	1.000	"	1750
85	दौजा/मोती	"	गुगवारा	कोलारस	0.500	"	875

86	श्री श्रीया / भागचन्द्र	"	गुगवारा	"	0.500	"	875
87	श्री पातरिया / रतना	"	नरहरगढा	पोहरी	0.500	"	875
88	लाखन / प्रभू	"	मोहरा	पोहरी	0.500	"	875
89	श्रीमति रामकली / रमेष	"	लक्ष्मीपुरा	पोहरी	0.500	"	875
90	श्रीपत / नवलू	"	गढा	पोहरी	0.500	"	875
91	दौजा / विरण	"	सोनीपुरा	पोहरी	0.500	"	875
92	बालू / पातरिया	"	नौन्हेटा	पोहरी	0.500	"	875
93	बाबू / सूखा	"	देवरीकला	पोहरी	0.500	"	875
64	यषपाल / महाराजसिंह	"	मचाखुर्द	पोहरी	0.500	"	875
95	श्रीया / भागचन्द्र	"	गुगवारा	पोहरी	0.500	"	875
96	दौजा / मोती	"	गुगवारा	पोहरी	0.500	"	875
97	घनष्याम / रघुवर	"	गुनवारा	पोहरी	0.250	"	435
98	वाईसराम / नकटू	"	नहरगढ	पोहरी	0.500	"	875
99	कल्लू / मछल्लू	"	गढा	पोहरी	1.000	"	1750
100	भरोसी / लपई	"	मारू	पोहरी	0.500	"	875
101	हटीला	"	डोभा	पोहरी	0.500	"	875
102	पहलू / फुन्दी	"	उपलिस	पोहरी	0.500	"	875
103	रामलाल / अरजना	"	सामौर	करैरा	0.500	"	875
104	खैरू / देवलाल	"	सेमरा	"	1.000	"	1750
105	रंधीरा / करंजू	"	नारही	"	0.500	"	875
106	रतीराम / लालचंद	"	कराई	षिवपुरी	0.500	"	875
107	लाडो / हरज्ञान	"	धुवानी	"	1.000	"	1750
108	रामहेत / हलकू	"	करई	"	0.500	"	875
109	सोमा / धर्मा	"	बबूका	कोलारस	0.500	"	875
110	माना / सुन्दरा	"	"	"	0.500	"	875
111	मिटू / सोमा	"	"	"	0.500	"	875
112	वनवारी / जसुआ	"	"	"	0.500	"	875
113	रघुवीर / जैना	"	सेसई	बदरवास	1.000	"	1750
114	मानसिंह / दीना	"	पडरा	खनियां.	0.500	"	875
115	सालिगराम / सूरतिया	"	कालीपहाडी	पिछोर	0.500	"	875
116	परमा / देवजू	"	पिपरानियां	पिछोर	1.000	"	1750
117	श्री रामरतन / गज्जू	"	कढोरा	करैरा	1.000	"	1750

118	नरेष / करनसिंह	''	चन्दावरा	''	1.000	''	1750
119	जगदीष / आनन्दसिंह	''	धुवानी	षिवपुरी	1.000	''	1750
120	जण्डेलसिंह / कंचन	''	रातौरा	षिवपुरी	1.000	''	1750
121	श्रीमति रामकुवंर / निर्मल / राजकुमार	''	वीलारा	''	1.000	''	1750
122	श्रीमति रामकुवर / आनंदगिरी	''	धुवानी	''	1.000	''	1750
123	हरिराम / रामदास	''	झालोनी	खनियां.	5.000	''	875
124	षिवकुमार / विष्वनाथ	''	मनपुरा	पिछोर	1.000	''	1750
125	श्रीमति कमलादेवी / मिश्रीलाल	''	मनपुरा	पिछोर	1.000	''	1750

### 13.3

कार्यक्रम / योजना का नाम :

**योजना**

कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा :

कार्यक्रमका उद्देश्य :

समन्वित सब्जी विकास

निरन्तर

फल पोष क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना ।

कार्यक्रमके भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) : वर्ष 2004-05 में भौतिक (है.)  
 155 वित्तीय (लाख रू.) 3.00  
 लाभार्थी की पात्रता : भूमि स्वामी हाना एवं सुनिश्चित  
 सिंचाई का साधन होने पर ।  
 पूर्वपेक्षाएँ : फलों के उत्पादन में वृद्धि ।  
 अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया : आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में  
 आवेदन करने के उपरान्त ग्राम  
 सभा एवं जिला पंचायत की कृषि  
 स्थाई समिति से अनुमोदन  
 पश्चात योजना के तकनीकी  
 मापदण्डों का पालन करने पर  
 निर्धारित अनुदान दिया जाता है ।  
 पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड : बजट प्रावधानों के अंतर्गत  
 लाभार्थी को लिखित आवेदन  
 होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम  
 सभा एवं जिला पंचायत की कृषि  
 स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।  
 दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण : योजना अंतर्गत निर्धारित सीमा  
 का जिसमें अनुदान की राशि का  
 विवरण हो : 50-75 प्रतिशत  
 राशि के समतुल्य आदान सामग्री  
 (बीज+कीटनाशक दवा) अनुदान  
 के रूप में देय है ।  
 अनुदान का विवरण : 50 %  
 सब्जी बीज-1400/-,  
 कीटनाशक दवा-100/-, योग  
 1500/- प्रति हैक्टर, 75 %पर  
 बीज 2100 रुपये कीटनाशक  
 दवा 150 रू0 कुल 2250/-हे0  
 अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया : आदान सामग्री के रूप में जन  
 प्रतिधियों की उपस्थिति में ।  
 आवेदन करने के लिये कहां /किससे सम्पर्क करें : विकासखण्ड स्तरीय रोपणी  
 कार्यालय में उद्यान अधीक्षक से  
 नहीं  
 नहीं  
 आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :  
 अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :

आवेदन का प्रारूप :

प्रपत्र-क

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला .....

विषय: समन्वित सब्जी विकास योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र ।

मैं, ..... पिता/पति श्री ..... वार्ड क..... ग्राम .....ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जिला ..... का निवासी हूँ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है । मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमकी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर कृषक .....

नाम .....

नाम .....

संलग्नों की सूची :

खसरा पांचसाला एवं नक्शा

संलग्नों का प्रारूप :

नहीं

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें : जिला स्तरीय अधिकारी से

उपलब्ध धनराशि का विवरण :

जिला एवं विकासखंड स्तर पर संधारित है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर,इत्यादि)

13.4

कार्यक्रम/योजना का नाम :

औषधीय एवं सुगंधित फसलें

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा :	निरन्तर
कार्यक्रमका उद्देश्य :	उन्नत जातियों के प्रदर्शन से क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना ।
कार्यक्रमके भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य :	वर्ष 2004-05 में भौतिक (संख्या) 3000 वित्तीय (लाख रु.) 3.00
लाभार्थी की पात्रता :	भूमि स्वामी हाना एवं सुनिश्चित सिंचाई का साधन होने पर ।
पूर्वापेक्षाएँ :	उन्नत जातियों के प्रदर्शन से क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना ।
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :	आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के उपरान्त ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन करने पर निर्धारित अनुदान दिया जाता है ।
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड :	बजट प्रावधानों के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।
दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण :	योजना प्रावधान के अन्तर्गत औषधीय एवं सुगंधित फसलों हेतु सामग्री के रूप में अनुदान देय है । अनुदान विवरण :
अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :	प्रति प्रदर्शन - 100/- रुपये कीमत तक के (बीज/पौध)
आवेदन करने के लिये कहां /किससे सम्पर्क करें :	आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियोंकी उपस्थिति में ।
आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :	विकासखण्ड स्तरीय रोपणी कार्यालय में उद्यान अधीक्षक से ।
अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं
	नहीं

आवेदन का प्रारूप :

प्रपत्र-क

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला .....

विषय : औषधीय एवं सुगंधित फसल योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र ।

मैं, ..... पिता/पति श्री ..... वार्ड क..... ग्राम .....ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जिला ..... का निवासी हूँ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है । मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमकी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर कृषक .....

नाम .....

नाम .....

संलग्नों की सूची :

खसरा पांचसाला एवं नक्शा

संलग्नों का प्रारूप :

नहीं

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें : जिला स्तरीय अधिकारी से

उपलब्ध धनराशि का विवरण :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर,इत्यादि)

### 13.5

कार्यक्रम/योजना का नाम :

पुष्प विकास योजना

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा :	निरन्तर
कार्यक्रमका उद्देश्य :	उन्नत जातियों के प्रदर्शन से क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ।
कार्यक्रमके भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :	वर्ष 2004-05 में भौतिक (संख्या) 53 वित्तीय (लाख रु.) 1.60
लाभार्थी की पात्रता :	भूमि स्वामी होना एवं सुनिश्चित सिंचाई का साधन होने पर ।
पूर्वापेक्षाएँ :	उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना ।
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :	पुष्प उत्पादक कृषकों के नाम ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड :	बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।
दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण :	योजना प्रावधान के अन्तर्गत 75 प्रतिशत : अनुदान समतुल्य राशि सामग्री के रूप में देय है ।
जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो :	पुष्प प्रदर्शन - 3000/- प्रति प्रदर्शन पुष्प बीज - 3000/-
अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :	आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियों की उपस्थिति में ।
आवेदन करने के लिये कहाँ /किससे सम्पर्क करें :	विकासखण्ड स्तरीय रोपणी कार्यालय में उद्यान अधीक्षक से ।
आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं ।
अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं ।

**आवेदन का प्रारूप :**

**प्रपत्र-क**



प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला .....

विषय : पुष्प प्रदर्शन योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र ।

मैं, ..... पिता/पति श्री ..... वार्ड क..... ग्राम .....ग्राम  
पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जिला ..... का निवासी हूं ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है । मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूं ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमकी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूं ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर कृषक .....

नाम .....

नाम .....

संलग्नों की सूची :

खसरा पांचसाला एवं नक्शा

संलग्नों का प्रारूप :

नहीं

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें :

जिला स्तरीय अधिकारी से

उपलब्ध धनराशि का विवरण :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर,इत्यादि)

लाभार्थियों की सूची :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है

पुष्प प्रदर्शन /मिनीकिट वर्ष 2004-05  
लाभार्थी सूची -

क /	नाम लाभार्थी / पिता का नाम	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	पौध संख्या	अनुदान राशि
1	श्री राकेश कुमारम / कृष्णबल्लभ	रामपुर	कोलारस	952	3000
2	श्री जगदीष / मूलचन्द	कोलारस	कोलारस	952	3000
3	श्री हुक्मसिंह / अर्जुनसिंह	परोडा	कोलारस	952	3000
4	श्री चिन्टूराम / देवलाल	किशनपुर	नरवर	952	3000
5	श्री प्यारेलाल / श्रीबल्देव	मुवारिकपुर	नरवर	952	3000
6	श्री प्यारेलाल / मेहरवानंसह	बमना	पिछोर	952	3000
7	श्रीमती कमलादेवी / मिश्री	मनपुरा	पिछोर	952	3000
8	नारायणप्रसाद / अजुद्धी	दिनारा	करैरा	952	3000
9	कुसुमवाई / फेरनसिंह	सिरसौद	करैरा	952	3000
10	रामसेवक / हजारीलाल	हीारापुर	खनियांधाना	952	3000
11	देवसिंह / रंधीरा ढीमर	करही	नरवर	952	3000
12	कमलजीत / चरणजीतसिंह	गढला	पोहरी	952	3000
13	राजेन्द्र / बाबूसिंह चौहान	भौराना	पोहरी	952	3000
14	विहारी / पुन्नलाल	भेदरा	"	952	3000
15	विकास / मुकेशा प्रसाद	वेहटा	"	952	3000

### 13.6

कार्यक्रम / योजना का नाम :

घरेलू बागवानी की आदर्श योजना

कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा :

निरन्तर

कार्यक्रमका उद्देश्य :	घरेलू बागवानी की आदर्श योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को पोषण आहार की उपलब्धता एवं आमदनी में वृद्धि ।
कार्यक्रमके भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :	वर्ष 2004-05 में भौतिक (संख्या) 17000 वित्तीय (लाख रु.) 4.25
लाभार्थी की पात्रता :	भूमि स्वामी होना एवं सुनिश्चित सिंचाई का साधन होने पर ।
पूर्वापेक्षाएँ :	घरेलू बागवानी की आदर्श योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को पोषण आहार की उपलब्धता एवं आमदनी में वृद्धि ।
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :	मसाला उत्पादक कृषकों के नाम ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड :	बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।
दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण : जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो :	योजना प्रावधान के अन्तर्गत सामग्री रूप में अनुदान देय है। अनुदान विवरण : रूपये 25/- प्रति हितग्राही (सब्जी बीज)
अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :	आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियों की उपस्थिति में ।
आवेदन करने के लिये कहाँ /किससे सम्पर्क करें :	विकासखण्ड स्तरीय रोपणी कायग्नलय में उद्यान अधीक्षक से ।
आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं ।
अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं ।

**आवेदन का प्रारूप :**

**प्रपत्र-क**

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला .....

विषय : घरेलू बागवानी की आदर्श योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र ।

मैं, ..... पिता/पति श्री ..... वार्ड क..... ग्राम .....ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जिला ..... का निवासी हूँ ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है । मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ । जनपद पंचायत ..... की बी.पी.एल. सूची के अनुक्रमांक ..... पर मेरा नाम अंकित है ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमकी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर कृषक .....

नाम .....

नाम .....

संलग्नों की सूची :

खसरा पांचसाला एवं नक्शा

संलग्नों का प्रारूप :

नहीं

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें : जिला स्तरीय अधिकारी से

उपलब्ध धनराशि का विवरण :

जिला स्तर पर संधारित की जा रही है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर,इत्यादि)

### 13.7

कार्यक्रम/योजना का नाम :

एकीकृत मसाला विकास योजना

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने को समय सीमा :वर्ष 2004-05

कार्यक्रमका उद्देश्य :	फसलों का क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन बढ़ाना एवं आय में वृद्धि करना
कार्यक्रमके भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :	वर्ष 2004-05 में भौतिक (संख्या) 150, वित्तीय (लाख रू.) 2.00
लाभार्थी की पात्रता :	भूमि स्वामी होना एवं सुनिश्चित सिंचाई का साधन होने पर ।
पूर्वापेक्षाएँ :	मसाला फसलों के उत्पादन में वृद्धि एवं निर्यात कर विदेश मुद्रा का अर्जन औसत आय में वृद्धि ।
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :	आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के उपरान्त ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन करने पर निर्धारित अनुदान दिया जाता है ।
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड :	बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।
दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण : जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो :	भारत सरकार द्वारा निर्धारित फसल लागत का 25 प्रतिशत राशि के समतुल्य आदान सामग्री के रूप में अनुदान देय है ।
अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :	आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियों की उपस्थिति में ।
आवेदन करने के लिये कहाँ /किससे सम्पर्क करें :	विकासखण्ड स्तरीय रोपणी कार्यालय में उद्यान अधीक्षक से ।
आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं
अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) :	नहीं
संलग्नों की सूची :	खसरा पांचसाला एवं नक्शा

## आवेदन का प्रारूप

### प्रपत्र-क

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला .....

विषय : एकीकृत मसाला विकास योजना के अंतर्गत पौध उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र ।

मैं, ..... पिता/पति श्री ..... वार्ड क..... ग्राम .....  
ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड ..... जिला ..... का निवासी हूँ।  
निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है । मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमकी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ ।

गवाह के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर कृषक .....

नाम .....

नाम .....

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें : जिला स्तरीय अधिकारी से  
उपलब्ध धनराशि का विवरण : जिला स्तर पर संधारित की जा  
रही है

(विभिन्न स्तरों पर जैसे की, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर,इत्यादि)

लाभार्थियों की सूची :

जिला स्तर पर संधारित है

## अध्याय – 14 (मैनुअल –13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण



## अध्याय – 14 (मैनुअल –13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

- कार्यक्रमका नाम निरंक
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्रधिकार में से एक चुने) निरंक
- उद्देश्य निरंक
- लक्ष्य (विगत वर्ष में) निरंक
- पात्रता निरंक
- पात्रता का आधार निरंक
- पूर्वापेक्षाएं निरंक
- प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंक
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निर्धारित समय सीमा निरंक
- आवेदन शुल्क निरंक
- आवेदन पत्र का प्रारूप निरंक
- संलग्नकों की सूची निरंक
- संलग्नकों का प्रारूप निरंक
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) निरंक

विभाग द्वारा प्रदत्त	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक	वल्दियत	निवास
-------------------------	-------------------------	------------------------	---------	-------



क्रमांक		है		जिल ा	शह र	मोहल ला /गली	मका न नं.
—	—	—	—	—	—	—	—

रियायत के लिये निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं

- दिये जाने वाले लाभ का विवरण निरंक
- लाभ के वितरण की प्रक्रिया निरंक

टीप : संचालनालय द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार की सुविधा देय नहीं है ।

**अध्याय – 15 (मैनुअल –14)**  
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध कराये।

क्र.	कार्यक्रमविवरण	मानक नियमों का विवरण
1	फल पौध रोपण योजना	1 लाभार्थी के पास उपयुक्त कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना एवं सुनिश्चित सिंचाई साधन होना आवश्यक है।
		2 रोपण हेतु न्यूनतम 1/4 हैक्टर एवं अधिकतम 2 हैक्टर तक के रोपण पर विभागीय फलोद्यानर योजना के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता होगी जबकि बैंक ऋण योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 1/4 हैक्टर एवं अधिकतम 4 हैक्टर की पात्रता है।
		3 रोपण कार्यक्रमक्लस्टर में कराया जाना।
		4 लाभार्थी की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि अनुसार वर्ष में प्रदाय लक्ष्य सीमा से 20 प्रतिशत अधिक अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाना कार्यक्रमप्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजना एवं स्वीकृति उपरान्त कार्यो का क्रियान्वयन प्रारम्भ करना।
		5 योजना में उपयोग की जाने वाली आदान सामग्री पौधे, खाद, कीटनाशक दवा आदि जिला अधिकारी के द्वारा विभागीय रोपणियों एवं म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से करना।
		6 पौध रोपण के पश्चात माह दिसम्बर में 80 प्रतिशत पौधे जीवित पाए जाने पर 25 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करना।
2	समंविद सब्जी विकास योजना	1 लाभार्थी के पास उपयुक्त कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना एवं सुनिश्चित सिंचाई साधन होना आवश्यक है।
		2 अधिकतम 1.000 व न्यूनतम 0.500 हैक्टर क्षेत्र में लाभार्थी को निर्धारित अनुदान की पात्रता।
		3 योजना का क्रियान्वयन समूह में किया जाना।

		4	लाभार्थी की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि अनुसार वर्ष में प्रदाय लक्ष्य सीमा से 20 प्रतिशत अधिक अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाना कार्यक्रमप्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजना एवं स्वीकृति उपरान्त कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करना ।
		5	योजना में उपयोग की जाने वाली आदान सामग्री बीज एवं कीट नाशक दवा और जिला अधिकारी के द्वारा एम.पी. एगो के माध्यम से प्रदाय करना ।
3	घरेलू बागवानी की आदर्ष योजना	1	लाभार्थी को गरीबी रेखा के नीचे सर्वेक्षण सूची में पंजीबद्ध होना आवश्यक है ।
		2	प्रति लाभार्थी कीमत रूपये 25/- के सब्जी बीज का पैकेट निःशुल्क प्रदाय करना ।
		3	लाभार्थी की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि अनुसार वर्ष में प्रदाय लक्ष्य सीमा से 20 प्रतिशत अधिक अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाना कार्यक्रमप्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजना एवं स्वीकृति उपरान्त कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करना ।
4	मसाला विकास योजना	1	लाभार्थी के पास उपयुक्त कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना एवं सुनिश्चित सिंचाई साधन होना आवश्यक है ।
		2	योजना अन्तर्गत धनियां एवं मिर्च के लिये रूपये 100/- अदरक के लिये रूपये 350/- लहसुन एवं हल्दी के लिये रूपये 250/- के बीज मिनीकिट चयनित कृषकों को प्रदान किये जाते हैं । प्रति कृषक को एक यूनिट की पात्रता है ।
		3	लाभार्थी की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि अनुसार वर्ष में प्रदाय लक्ष्य सीमा से 20 प्रतिशत अधिक अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाना कार्यक्रमप्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजना एवं स्वीकृति उपरान्त कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करना ।
5	औषधीय एवं सुंगधित फसल योजना	1	लाभार्थी के पास उपयुक्त कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना एवं सुनिश्चित सिंचाई साधन होना आवश्यक है ।

		<p>2 योजना अंतर्गत रूपये 100/- कीमत की आदान सामग्री (बीज/पौध) जवाइन, ईसबगोल, सर्पगंधा, श्वगंधा आदि फसलों के प्रति कृषक एक मिनीकिट प्रदाय किये जाते है</p>
		<p>3 लाभार्थी की वरिष्ठता सूची उद्यान अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त आवेदन तिथि अनुसार वर्ष में प्रदाय लक्ष्य सीमा से 20 प्रतिशत अधिक अनुमोदन हेतु ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाना कार्यक्रमप्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजना एवं स्वीकृति उपरान्त कार्यो का क्रियान्वयन प्रारम्भ करना ।</p>

## 15.2 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

### समय सीमा में कार्य निपटाने हेतु मापदण्ड

कार्य का विवरण	प्राथमिक स्तर	द्वितीय स्तर	स्वीकृतकर्ता
<b>लेखा संबंधी कार्य</b>			
1- जी.पी.एफ. एवं अग्रिम	समय सीमा – 07 दिन – प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्तुत करना	समय सीमा – 05 दिन प्रकरण पर टीप अंकित कर अग्रेषित करें	समय सीमा – 3 दिन स्वीकृत/अस्वीकृत उपरान्त शाखा को वापिस करना
2- लंबित स्वत्व एवं चिकित्सा देयक व यात्रा देयक	माह में 5 तारीख तक प्रस्तुत होने वाले सभी देयकों पर बजट एवं प्रावधान अनुसार स्वीकृत हेतु 15 तारीख तक प्रस्तुत करना ।	समय सीमा – 05 दिन प्रकरण पर टीप अंकित कर अग्रेषित करें	समय सीमा – 3 दिन स्वीकृत/अस्वीकृत उपरान्त शाखा को वापिस करना
<b>स्थापना संबंधी कार्य</b>			
3-नियुक्ति	समय सीमा – शासन द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट सीमा में शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में रिक्त पदों का परीक्षण, नियुक्ति हेतु विज्ञापन, प्राप्त आवेदनों का परीक्षण आदि ।	समय- सीमा शासन द्वारा निर्दिष्ट सीमा में प्राप्त आवेदन का परीक्षण, मेरिट सूची तैयार करना व साक्षात्कार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना ।	समय- सीमा शासन द्वारा निर्दिष्ट सीमा में स्वीकृत कर नियुक्ति हेतु नस्ती वापस ।
4- पदोन्नति/ क्रमोन्नति	जनवरी तक पदों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक तैयारी करना एवं कार्यवाही कर स्वीकृत हेतु समिति के समक्ष रखना ।	माह फरवरी में समिति द्वारा बैठक आहूत कर संचालक को प्रस्तुत करना ।	माह मार्च में समिति से प्राप्त प्रकरण पर निर्णय एवं आदेश हेतु नस्ती शाखा को वापस करना ।
5- अवकाश प्रकरण का निराकरण	सीमा 15 दिन परीक्षण एवं प्रस्तुत समय	सीमा 7 दिन परीक्षण कर टीप देना ।	सीमा 03 दिन स्वीकृत/अस्वीकृत कर नस्ती वापस करना ।
6- वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत	समय सीमा – प्रत्येक माह की 10 तारीख देय माह में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना	समय सीमा – प्रत्येक माह की 15 तारीख परीक्षण उपरान्त स्वीकृत हेतु अग्रेषित करना ।	समय सीमा – प्रत्येक माह की 20 तारीख स्वीकृत कार्यवाही कर नस्ती वापस करना ।
7- पेंशन प्रकरण	समय सीमा – 2 वर्ष पूर्व से कार्यवाही	समय सीमा – 15 दिवस परीक्षण कर अग्रेषित करना ।	समय सीमा – 7 दिवस पेंशन प्रकरण का परीक्षण कर

	अथवा आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति करने पर 15 दिवस		पेंशन कार्यालय भेजना ।
--	--	--	------------------------

<b>तकनीकी कार्य</b>			
8- योजनाओं का लक्ष्य जारी करना	आगामी वित्तीय वर्ष के लक्ष्य चालू वर्ष के माह जनवरी अंत तक तैयार कर प्रस्तुत करना । योजनाओं का क्रियान्वयन	15 फरवरी तक परीक्षण कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना	फरवरी अंत तक जारी करने हेतु अनुमोदन एवं शाखा द्वारा जिलों को जारी करना ।
9- आदान व्यवस्था अ- खरीफ	<b>शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार</b> आंकलन एवं मात्रा का निर्धारण अप्रैल अंत तक	<b>समय सीमा - 10 मई तक</b>	<b>समय सीमा - 15 जून तक</b> अनुमोदन
ब- रबी	<b>व्यवस्था - 15 जून तक</b> आंकलन एवं मात्रा का निर्धारण जुलाई अंत तक	<b>समय सीमा - 10 अगस्त</b>	<b>समय सीमा- 15 अगस्त</b> अनुमोदन
स- जायद	<b>समय सीमा- नवम्बर अंत तक</b> आंकलन एवं मात्रा का निर्धारण	<b>समय सीमा - 10 दिसम्बर तक</b>	<b>समय सीमा - 15 दिसम्बर तक</b> अनुमोदन
<b>10-तकनीकी प्रस्तावों की स्वीकृति</b>	<b>समय सीमा -15 दिवस</b> जिलों से प्राप्त होने पर परीक्षण कर प्रस्तुत करना	<b>समय सीमा - 10 दिवस</b> टीप अंकित कर अग्रेषित करना ।	<b>समय सीमा - 5 दिवस</b> स्वीकृत /अस्वीकृत कर नस्ती वापस करना
<b>11- निर्माण कार्यों की स्वीकृति</b>	<b>समय सीमा -15 दिवस</b> जिलों से प्राप्त होने पर परीक्षण कर प्रस्तुत करना	<b>समय सीमा - 10 दिवस</b> टीप अंकित कर अग्रेषित करना ।	<b>समय सीमा - 5 दिवस</b> स्वीकृत /अस्वीकृत कर नस्ती वापस करना
<b>बजट</b>			
12- वार्षिक बजट आवंटन	शासन से प्राप्त बजट को 15 अप्रैल तक जिलेवार आवंटित कर अग्रेषित करना	31 दिवस में परीक्षण कर अनुमोदन हेतु अग्रेषित करना	2 दिवस (20 अप्रैल तक) अनुमोदित कर जिलों को भेजने हेतु नस्ती वार्षिक एवं 25 अप्रैल तक संचालक कोष लेखा को अग्रेषित करना
13- अनुपूरक बजट आवंटन	शासन से प्राप्त होने पर जिलेवार ब्रेकअप कर 15 दिवस में तैयार करना	3 दिवस में परीक्षण कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना	2 दिवस में जिलों को भेजने हेतु संचालक कोष एवं लेखा को अग्रेषित करना
14-अंतिम बजट आवंटन	शासन से पुनरीक्षित बट प्राप्त होने पर माह मार्च में ही 15 दिवस में तैयार करना	3 दिवस में परीक्षण कर अग्रेषित करना	2 दिवस में जिलों को आवंटित करने हेतु संचालक कोष एवं लेखा को अग्रेषित करना
15- विशेष मांग प्राप्त होने पर	7 दिवस में यदि कोई विशेष मांग हो तो तैयार कर प्रस्तुत करना	3 दिवस में परीक्षण कर अग्रेषित करना	2 दिवस में जिलों को आवंटित करने हेतु संचालक कोष एवं लेखा को अग्रेषित करना

<b>भण्डार</b>			
16- भौतिक सत्यापन	30 अप्रैल तक भण्डार का भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश संचालनालय स्तर से जारी करना ।	30 जून तक निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन पूर्ण कर प्रतिवेदन संचालनालय को प्रस्तुत करना ।	जुलाई अंत तक प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर कार्यवाही करना ।
<b>गोपनीय चरित्रावली</b>			
17- अधिकारियों / कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली का लिखा जाना	प्रथम मतांकन 15 अप्रैल तक अंकित कर अग्रेषित करना ।	द्वितीय मतांकन 1 मई तक अंकित कर अग्रेषित करना	तृतीय मतांकन 15 मई तक अंकित करना ।
<b>जांच कार्य</b>			
18- घरेलू जांच	शिकायत प्राप्त होने पर 15 दिवस में जांचकर्ता अधिकारी प्रस्तावित करना	जांचकर्ता अधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।	जांच प्राप्त होने के 1 माह के भीतर आवश्यक निर्णय लेकर संसूचित करना ।
19- विभागीय जांच	घरेलू जांच के आधार पर तीन माह के भीतर विभागीय जांच का निर्णय प्रस्तावित करना ।	जांचकर्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।	जांच प्रतिवेदन तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय हेतु पारित करना ।



**अध्याय – 16 (मैनुअल –15)  
इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें**

**अध्याय – 16 (मैनुअल –15)**  
**इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें**

क्रमांक	सूचना का विवरण	रिमार्क
1.	आवंटन वितरण	जिला कार्यालय को योजना अन्तर्गत प्रदाय किये जाने वाले आवंटन की जानकारी
2.	अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी	स्थापना सम्बन्धी समस्त जानकारी
3.	योजनाओं की जानकारी	सहायक संचालक उद्यान द्वारा क्रियान्वित समस्त योजनाओं की जानकारी । (कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएँ )
4.	योजनाओं का मासिक कैलेण्डर	उद्यानिकी फसलों का मासिक कैलेण्डर जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि प्रतिमाह क्या कार्य करना चाहिये ।
5.	वेतन देयक	समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक वेतन भुगतान
6.	विभागीय संरचना	भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी
7.	आय-व्यय	मासिक आय-व्यय की जानकारी
8.	सांख्यिकी आँकड़े	क्षेत्रफल एवं उत्पादन तथा उत्पादकता का वर्षवार संकलन
9.	योजनाओं की मासिक प्रगति	प्रतिमाह अद्यतन किया जाता है

**अध्याय – 17 (मैनुअल –16)**  
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

## अध्याय – 17 (मैनुअल –16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण

- प्रदर्शनी :- जिला स्तर पर साग सब्जी फल फूल प्रदर्शनी 26 से 30 जनवरी तक आयोजित की जाती है ।
- सूचना पटल :- कार्यालय में प्रवेश द्वार पर लगाया गया है ।
- अभिलेखों का निरीक्षण :-उद्यान रोपणी में संधारित रजिस्टरो का निरीक्षण रोस्टर द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है ।
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था :- है ।
- प्रचार प्रसार के साधन:- कृषको के यहाँ प्रदर्शन डालकर उन्नत किस्म के किट प्रदाय कर खंड स्तर एवं जिला स्तर पर कृषक प्रशिक्षण कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है ।  
आकाशवाणी के द्वारा कृषि दर्शन कार्यक्रमके तहत विभागीय योजना की जानकारी एवं विशेष फसल की जानकारी दी जाती है जो आकाशवाणी द्वारा जनहित में प्रसारित की जाती है ।

**अध्याय – 18 (मैनुअल –17)**  
अन्य उपयोगी जानकारियां

## अध्याय – 18 (मैनुअल –17)

### अन्य उपयोगी जानकारियां

#### 18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

**प्रश्न**— सूचना के अधिकार का क्या अर्थ है ?

**उत्तर**— नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के स्वामित्व में मौजूद उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति जो स्वयं उनसे जुड़ी हो या जो लोक कल्याण की भावनाओं से जुड़ी हो ।

**प्रश्न**— यह सूचना किस रूप में प्राप्त हो सकेगी ?

**उत्तर**— यह सूचना रिकार्ड, नक्शे, फाईले, रजिस्टर्स, ऑकड़े, रेखांकित नमूने, कम्प्यूटर, हार्ड/साफ्ट कॉपी, आडियो/विडियो इत्यादि के किसी भी रूप में हो सकती है ।

**प्रश्न**— सूचना के अधिकार के अभाव में क्या हो रहा है ?

**उत्तर**—सूचना के अभाव में लोग यह नहीं जान पाते हैं कि सरकार क्या कर रही है । सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया क्या है । उनमें कैसे भागीदारी की जा सकती है इत्यादि ।

**प्रश्न**— सूचना के अधिकार से क्या होगा ?


**उत्तर**—इसमें सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता आयगी तथा धनको सावधानी से प्रयोग करने का दवाब रहेगा ।

**प्रश्न**— क्या प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय, लोक प्राधिकरण, निगम मण्डल, स्थानीय निकाय शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं से सूचना के अधिकार के तहत सूचना पाने का अधिकार होना ?

**उत्तर**—जी हाँ ।

**प्रश्न**— सूचना मिलने की क्या कोई समय-सीमा निर्धारित है ?

**उत्तर**—जी हाँ ।



**प्रश्न**— क्या इसमें अपील का प्रावधान है ?

**उत्तर**—जी हाँ । प्रथम अपील 30 दिन के भीतर विदिनिष्ट अधिकारी को तथा द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर राज्य स्तर पर गठित सूचना आयोग को कर सकेंगे ।

प्रश्न— यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में आना-कानी करता है तो उसके विरुद्ध दण्ड का कोई प्रावधान है ?

उत्तर— जी हाँ ।

## 18.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में :-

### सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र (प्रपत्र—एक)

1. आवेदक का नाम .....
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है .....
3. दूरभाष क्रमांक .....
4. आवेदन देने का दिनांक .....
5. कार्यालय का नाम .....
6. चाही गई जानकारी का विवरण .....
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना .....
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी रुपये 5/- नगद/स्टैम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)  
रसीद क्रमांक एवं दिनांक .....
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं हाँ/नहीं यदि हाँ तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक .....

हस्ताक्षर  
(आवेदनकर्ता)

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डॉक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 5 का स्टैम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डॉक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें । (बीपीएल सूची के सदस्य को डॉक व्यय देय नहीं)

### पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक .....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक .....
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक  
लोक  
सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)  
पदनाम (रबर सील)

दिनांक .....

(प्रपत्र-दो)  
आवेदक को उसके द्वारा वांछित नकल/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने की सूचना

1. आवेदक का नाम/पता .....
2. आवेदनकर्ता का सन्दर्भ .....
3. विषय/विवरण .....
- ..
4. उपस्थिति दिनांक .....
- ..

विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में दिनांक ..... के सन्दर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक ..... तक जमा कर दस्तावेज /नकल/नमूना दिनांक ..... तक प्राप्त करलें । यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते है तो उसके लिये रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ साथ में संलग्न करें ।

2. शुल्क निम्नानुसार देय होगा :- (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)

वांछित जानकारी का प्रकार	पृष्ठ संख्या/नग/मात्रा	दर	योग (कालम 2 गुणा 3)
1	2	3	4
कार्य सम्बन्धी दस्तावेज जैसे नक्श/प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति/अनुबन्ध/इस्टीमेट/आदेश, टीप इत्यादि की प्रति			
वित्तीय /लेखा सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि			
सैम्पल			
अन्य			

लोक सूचना अधिकारी



/सहायक लोक सूचना  
अधिकारी (रबर सील)

टीप :- डाक से आवेदन प्राप्त होने पर प्रपत्र-दो डाक से प्रेषित किया जाएगा । (बीपीएल सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

(प्रपत्र-तीन)

**आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग को अंतरित करने सम्बन्धी सूचना**

द्वारा- विभाग का नाम/पता

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय:-

.....  
.....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्री .....  
..... से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक ..... को प्राप्त  
हुआ, परीक्षण उपरान्त वस्तुस्थिति आपके विभाग से सम्बन्धित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पाँच  
कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है ।  
कृपया प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न- मूल आवेदन

लोक सूचना अधिकारी/  
सहायक लोक सूचना अधिकारी  
(रबर सील)

प्रतिलिपि:-

श्री ..... पिता श्री .....  
.....को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक .....  
कार्यालय/विभाग ..... से सम्बन्धित होने के कारण दिनांक .....  
.... को कार्यालय/विभाग ..... को अंतरित कर दिया गया है ।  
अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय /विभाग .....  
..... से सम्पर्क करने का कष्ट करें ।

हस्ताक्षर  
लोक सूचना अधिकारी/सहायक  
लोक सूचना अधिकारी  
(रबर सील)

### सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत

1. आवेदन प्राप्त की दिनांक .....
2. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक सम्बन्धित शाखा को भेज देगा ।
3. सम्बन्धित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से सम्बन्धित अभिलेख अधिकतम तीन कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा-8 के अन्तर्गत वर्जित तो नहीं है ।

शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से सम्बन्धित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से सम्बन्धित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी को भेज देगा ।

4. लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना/प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे ।
5. लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 कार्य दिवसों की समयावधि में वांछित दस्तावेज/नकल/निरीक्षण/अवलोकन/की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से सम्बन्धित है तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन सम्बन्धित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्य दिवस में अंतरित कर देंगे । साथ ही आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अन्तरण की सूचना देंगे ।

**18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में :-**

- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 11 - 24/05/1/9 दिनांक 19.9.2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण जानकारी संभाग,जिला,अनुविभाग, तहसील, विकासखण्ड,ग्राम पंचायत स्तर तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने हेतु कमिश्नर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं ।
- जिला कार्यालयों ने सूचना के अधिकार वाली जानकारी का सूचना पट लगाया जावेगा

**18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में जो की मैनुअल-13 में ना सम्मिलित हो**

- समय पर आवेदक की मांग अनुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

**18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में :-**

- शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार पंजीयन का संधारण किया जाएगा ।

**18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax,आदि) द्वारा टेक्स लेने के सम्बन्ध में :-**

- लागू नहीं ।

**18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के सम्बन्ध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/नगर द्वारा दी जा सकती है) :-**

- लागू नहीं ।

**18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण**

- प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन वृद्धि हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रचार-प्रसार ।

